बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

अधि0 सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-से0नि0-10/2021 325 /पटना, दिनांक 22/10/26

-:अधिसूचना:-

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010'' में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-06.10.2026 को आयोजित की गयी । उक्त बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता(असैनिक), जिन्हें डिप्लोमाधारी कनीय अभियन्ता(असैनिक) से सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान-6,500-10,500/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बैण्ड-2(9,300-34,800/-) + ग्रेड पे-5,400/- में नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी थी, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पे बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अंकित तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र0 सं0	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का नाम/आई0 डी0/गृह जिला/ वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ प्रथम योगदान की तिथि/ से0नि0 तिथि	स्वीकृत वितीय उन्नयन (ACP/MACP) वेतनमान/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतन स्तर एवं देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गिरधारी/ असैनिक-जे0-9057/ संत कबीर नगर(उ0प्र0)/ 79/16	26.08.1961 11.08.1989 31.08.2021	**MACP-2** दिनांक-25.01.2013 से पे बैण्ड-3(15600-39100/-) ग्रेड पे-5400/- में स्वीकृत ।	व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति की तिथि-25.01.2013

2. उपर्युक्त वितीय उन्नयन व्यक्तिगत है, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है ।

3. उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आर्थिक लाभ स्वीकृत करने एवं वेतन पूर्जा निर्गत करने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना अपने स्तर से संबंधित अभियंता का प्रथम योगदान की तिथि, सेवा में टूट, दंडादेश आदि के संबंध में यथा आवश्यक जाँचकर तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे ।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमित ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं 630 दिनांक-21.01.2010 के आलोक में मौलिक नियमवाली के नियम-22(I)(ए)(I) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेगें अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से ।

अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है ।

5. उक्त सेवानिवृत्त अभियन्ता के संबंध में वित्तीय उन्नयन स्वीकृति संबंधी पात्रता में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वितीय उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को संशेधित/रद्द कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

6. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(रजनीश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव ।

कु0पु0उ0

4

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0-सी0डी0 ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग से अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँचकर यथानुमान्य वेतनपूर्जा निर्गत किया जाय ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोपालगंज/**स्पीड-पोस्ट**-श्री गिरधारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, ग्राम/मोहल्ला-चक्सा हुसेन, पचपेडवा, रामप्रीत चौक(अम्बेदकर मूर्ति के निकट), पोस्ट-बसारतपुर, थाना-शाहपुर, जिला-गोरखपुर(उ0प्र0),पिन-273004, मो0 नं0-8986554871, E-Mail ID- girdhariae@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- 6746 /पटना, दिनांक- 22/10/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

22.10.26

सरकार के अवर सचिव ।